



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध सूखे गांजे के अन्तर्राज्यीय तस्करों को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से 10. 4 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा व अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अन्तर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है । गैरतलब हो कि थाना नरैनी पुलिस द्वारा देर रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति नरैनी-कालिंजर रोड पेट्रोल पम्प के पास खड़े हैं । सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर अभियुक्तों को पकड़कर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस व चार पहिया वाहन की डिग्गी में अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ । पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत कर मात्र न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 10 किलो 400 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 चार पहिया वाहन घटना में प्रयुक्त
- 01 मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक पुत्र रजनीश निवासी ग्राम उजरौधा थाना रैगाँव जनपद सतना (म0 प्र0) ।
2. शैलेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र निवासी पन्ना रोड उमरी हनुमान मंदिर थाना कोतवाली नगर जनपद सतना (म0 प्र0) ।
3. बुधविलास पुत्र बोधन निवासी ग्राम गढ़ाव थाना बिसन्डा जनपद बांदा ।
4. महिपत पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम बड़ेहा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।
5. अभिलाष पुत्र बीरेन्द्र निवासी ग्राम खरौली थाना कमासिन जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0- 380/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना नरैनी
2. उ0नि0 श्री कल्बे अब्बास खाँ
3. हे0 कां0 ललीत कुमार

4. हे० कां० नागेश कुमार
5. कां० सुनील कुमार
6. कां० जितेन्द्र कुमार
7. कां० अंकित कुमार सिंह

आपराधिक इतिहास महिपत-

1. मु०अ०सं० 145/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. मु०अ०सं० 250/07 धारा 387/504/506 भादवि व धारा 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभिलाष

1. मु०अ०सं० 68/21 धारा 147/149/283/323/332/336/341/353/427/504/506 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा ।
2. मु०अ०सं० 255/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा